

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:— दिनेश कुमार मीना आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 78/2018

दायर दिनांक: 08.06.2018

उनवान

1. बिहारी आयु 65 वर्ष पुत्र हेमा जाति बंजारा निवासी चारपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज०।

वादी

बनाम

1. मेघराज आयु 62 वर्ष पुत्र हेमा जाति बंजारा निवासी चारपुरा तहसील अटरू हाल मुकाम गायत्री नगर जेल के पास अटरू जिला बारां राज०।
2. हरिसिंह आयु 40 वर्ष पुत्र हेमा जाति बंजारा निवासी चारपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज०।
3. बहादुर आयु 35 वर्ष पुत्र लालू जाति बंजारा निवासी चारपुरा हाल मुकाम गायत्री नगर जेल के पास अटरू जिला बारां राज०।
4. राजू आयु 30 वर्ष पुत्र लालू जाति बंजारा निवासी चारपुरा
5. रमेश आयु 28 वर्ष पुत्र लालू जाति बंजारा निवासी चारपुरा
6. मन्नी आयु 25 वर्ष पुत्री लालू जाति बंजारा निवासी चारपुरा
7. कमला आयु 55 वर्ष पत्नी लालू जाति बंजारा निवासी चारपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज०।
8. गंगा बाई आयु 40 वर्ष पुत्री हेमा पत्नी नाथूलाल जाति बंजारा निवासी चारपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज०।
9. कजोडी बाई आयु 70 वर्ष पुत्री हेमा पत्नी पीरू जाति बंजारा निवासी चारपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज०।
10. कालू आयु 40 वर्ष आत्मज पीरू जाति बंजारा निवासी मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राज०।
11. ममता बाई पत्नी रिषीराज जाति गुर्जर निवासी सरसोदिया तहसील अटरू जिला बारां राज०।
12. स्टेट ऑफ राजस्थान जयें तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज०)।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

उपस्थिति :—

वादी:— विद्वान अभिभाषक श्री रामेश्वर प्रसाद गोयल।

प्रतिवादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री भीमराज नागर।

निर्णय



22.04.2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर० टी० एक्ट० राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

का पेश किया गया था। जिसका निर्णय 14.08.2019 की पालना में तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक /राजस्व/2019/1428 दिनांक 27.12.2019 से विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया जिससे अभिभाषकगण सहमत है। अतः ग्राम चारपुरा के ख0नं0 1780/2802 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 1854 रकबा 3.68 है0 में वादी बिहारी पुत्र हेमा जाति बंजारा निवासी चारपुरा का हिस्सा 1/18 व प्रतिवादीगण का विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है :-

1. वादी बिहारी पुत्र हेमा जाति बंजारा साकिन देह के खाते में निम्न आराजी रहेगी :-

क्र. सं	ग्राम का नाम	ख. नं.	रकबा	किस्म	दर	रकम
1	चारपुरा	1854	0.18 है0	बरानी -2	7	1.26
पूर्व						
			किता-1	0.18 है0		1.26

2. प्रतिवादीगण कालू पुत्र पीरू हि0 125/358 मेघराज हरिसिंह लालू पुत्र गंगाबाई कजोडीबाई पुत्रियां भूरी पत्नि स्व0 हैमा हि0 54/179 जाति बंजारा सा देह ममताबाई पत्नि ऋषिराज हि0 125/358 जाति गुजर सा. सरसोदिया खातेदार हि. पर रहन एस.बी.बी.जे. शाखा अटरू हि. कालू के हिस्से में निम्न आराजी रहेगी :-

क्र. सं	ग्राम का नाम	ख. नं.	रकबा	किस्म	दर	रकम
1	चारपुरा	1780/2802	0.08 है0	बरानी-2	7	0.56
		1854	3.50 है0	बरानी-2	7	24.50
पश्चिम						
			किता -2	3.58 है0		25.06

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें, फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

फाइनल डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीना (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 78/2018

उनवान

1. बिहारी आयु 65 वर्ष पुत्र हेमा जाति बंजारा निवासी चारपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. मेघराज आयु 62 वर्ष पुत्र हेमा जाति बंजारा निवासी चारपुरा तहसील अटरू हाल मुकाम गायत्री नगर जेल के पास अटरू जिला बारां राज0।
2. हरिसिंह आयु 40 वर्ष पुत्र हेमा जाति बंजारा निवासी चारपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
3. बहादुर आयु 35 वर्ष पुत्र लालू जाति बंजारा निवासी चारपुरा हाल मुकाम गायत्री नगर जेल के पास अटरू जिला बारां राज0।
4. राजू आयु 30 वर्ष पुत्र लालू जाति बंजारा निवासी चारपुरा
5. रमेश आयु 28 वर्ष पुत्र लालू जाति बंजारा निवासी चारपुरा
6. मन्नी आयु 25 वर्ष पुत्री लालू जाति बंजारा निवासी चारपुरा
7. कमला आयु 55 वर्ष पत्नी लालू जाति बंजारा निवासी चारपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
8. गंगा बाई आयु 40 वर्ष पुत्री हेमा पत्नी नाथूलाल जाति बंजारा निवासी चारपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
9. कजोडी बाई आयु 70 वर्ष पुत्री हेमा पत्नी पीरू जाति बंजारा निवासी चारपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
10. कालू आयु 40 वर्ष आत्मज पीरू जाति बंजारा निवासी मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राज0।
11. ममता बाई पत्नी रिषीराज जाति गुर्जर निवासी सरसोदिया तहसील अटरू जिला बारां राज0।
12. स्टेट ऑफ राजस्थान जयें तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनईX..... रुबरू.....X.....

बहाजिर :-

वादी:- विद्वान अभिभाषक श्री रामेश्वर प्रसाद गोयल।

प्रतिवादीगण :- विद्वान अभिभाषक श्री भीमराज नागर।

मिनजानित मुदई रुबरूX.....

मिनजाबिन मुदालयह हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम चारपुरा के ख0नं0 1780/2802 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 1854 रकबा 3.68 है0 में वादी बिहारी पुत्र हेमा जाति बंजारा निवासी चारपुरा का हिस्सा 1/18 व प्रतिवादीगण का विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है :-

3. वादी बिहारी पुत्र हेमा जाति बंजारा साकिन देह के खाते में निम्न आराजी रहेगी :-

क्र. सं	ग्राम का नाम	ख. नं.	रकबा	किस्म	दर	रकम
1	चारपुरा	1854	0.18 है0	बरानी -2	7	1.26
पूर्व						.
			किता-1	0.18 है0		1.26

4. प्रतिवादीगण कालू पुत्र पीरू हि0 125/358 मेघराज हरिसिंह लालू पुत्र गंगाबाई कजोडीबाई पुत्रियां भूरी पत्नि स्व0 हैमा हि0 54/179 जाति बंजारा सा देह ममताबाई पत्नि ऋषिराज हि0 125/358 जाति गुजर सा. सरसोदिया खातेदार हि. पर रहन एस.बी.बी.जे. शाखा अटरू हि. कालू के हिस्से में निम्न आराजी रहेगी :-

क्र. सं	ग्राम का नाम	ख. नं.	रकबा	किस्म	दर	रकम
1	चारपुरा	1780/2802	0.08 है0	बरानी-2	7	0.56
		1854	3.50 है0	बरानी-2	7	24.50
पश्चिम						
किता -2			3.58 है0			25.06

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीना)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निजX..... मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशरहX.....
..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 22.04.2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)